

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

गोश्वामलाल विपक्षी लक्ष्मीलाल
 मुकदमा नं० १०६ पत्रावली संख्या १५६/२३ सन २०१५

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>पत्रावली वास्ते तलवी नं. ५ दिनांक १३/६/२५ को पेश हो।</p> <p>13/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक १०/७/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">D/O २</p>	
<p>10/7/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक २८/८/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">D/O २</p>	
<p>२८/८/२५ वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप तलवी नं. ५ के लिये मौखिक चाहते है। अतः ६/११/२५ अवसर दिया जाकर पत्रावली को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(SDO) मावली</p>	
<p>६/११/२५ पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक १८/१२/२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">D/O २</p>	

18/12/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. तलदी न. 5
 के लिये मौका चाहते है। अतः स्वतः कोर्ट शर्त पर
 अवसर दिया जाकर फावली दि. 21/12/26
 को पेश हो।
 (SDO) मावली

26/12/26
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान च. व.
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 21/12/26 को पेश हो।
 B1°

21/12/26
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान च. व.
 उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का
 बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य
 स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/
 भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश
 के क्रम में दिनांक 14/12/26 को पेश हो।
 B1°

14/12/26
 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मध
 स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मध
 स्वयं वादी को बार-बार भावाजे दिलवाई
 गई। अमध साँघ 5:00 PM हो चुके हैं।
 अमध स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब
 तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी
 मध स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी
 का वार अदम हाजरी अदम पेशी में
 खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार
 होकर नम्बर से कम हो।
 निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
 (SDO) मावली